



न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 22 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 262

महत्वपूर्ण एवं खास

जहरीला दाना खाने से तीन दर्जन से अधिक मोरों की हुई मौत

मुरैना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पिछले चार दिनों में जहरीला दाना खाने से तीन दर्जन से अधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चार दिन पूर्व हुई एक दर्जन मोरों की मौत के बाद कल रविवार को वन विभाग की टीम ने ग्राम रिठौरा के क्षेत्र में शनि मंदिर के आसपास 28 और मोर मृत अवस्था में मिले और घटनास्थल पर टीम को जहरीले चावल के दाने भी मिले हैं। इससे विभाग को आशंका है कि क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोरों का शिकार करने वाला गिरोह सक्रिय है। उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर ने आज बताया कि कल मिली 28 मृत मोरों का आज बानमोर में पोस्टमार्टम किया जाएगा उसके बाद ही मोरों के मरने के कारणों स्पष्ट पता चल सकेगा। जानकारी में बताया गया है कि मोर का शिकार करने वाला गिरोह मोरों का शिकार करने के बाद उनका मांस महानगरों के होटलों में सप्लाई करते हैं और मोर के मांस की वहां अधिक मांग रहती है और अन्य मांस की जगह उसकी उच्च कीमत भी मिलती है। सूत्रों के अनुसार मोर पंख की बिक्री से भी शिकारियों को अच्छी खासा मुनाफा मिलता है।

श्री अमरनाथ यात्रा रद्द, भक्त ऑनलाइन कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन

श्रीनगर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। उक्त घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुताबिक हिमालय के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। ब्रह्मालु घर बैठे ही हिमालय के दर्शन कर सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला जनता के व्यापक हित में लिया गया। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है। पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की आरती का प्रसारण किया जाएगा। हालांकि, सभी पारंपरिक पूजन पहले ही की तरह होंगे। छड़ी निकलेगी और जेठे पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। इस साल श्राद्ध बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। पहले दिन उप राज्यपाल एवं अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे।

तमिलनाडु में अवैध पटाखा इकाई में विस्फोट, 5 साल के बच्चे सहित 3 की मौत

चेन्नई (आरएनएस)। सत्तर के थायिलपट्टी की कलैंगनार कॉलोनी में आज सुबह अवैध पटाखा इकाई में हुए विस्फोट में पांच साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पटाखे बनाने के दौरान यहां आग लग गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सेल्वामणि (35), उसका बेटा और एक अन्य व्यक्ति करणम (35) की मौत पर ही मौत हो गई। दो अन्य व्यक्तियों सूर्य और प्रभाकर को कई चोटों के साथ शिवकाशी के सभकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के कारण अवैध रूप से चल रही फायर क्रीक गैटिंग सहित चार घर पूरी तरह नष्ट हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले कि जांच की जा रही है।

देश में महंगाई के साथ बढ़ी बेरोजगारी की दर, दिल्ली का हर दूसरा आदमी बेरोजगार

नई दिल्ली (आरएनएस)। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश-दुनिया को योग करने का संदेश दिया। लेकिन उनका ये संदेश उन लोगों के बहुत काम का नहीं है जिनके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है और इस बढ़ती महंगाई ने उनके मुंह का निवाला खीन लिया है।

देश में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण इस समय बेरोजगारी चरम पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6 फीसदी तक पहुंच गई है, यानी यहां का लगभग हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1 फीसदी, तमिलनाडु में 28 फीसदी और राजस्थान में 27.6 फीसदी हो गई है। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में



लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है।सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कुछ सुधार आया है।

अब यह 10.8 फीसदी पर पहुंच गया है। मई माह के अंत में यह 11.9 फीसदी पर पहुंच गया था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.9 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.8 फीसदी तक

पहुंच गई है। ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश में 13.5 फीसदी, बिहार में 13.8 फीसदी, गोवा में 20.6 फीसदी, जम्मू-कश्मीर में 12.1 फीसदी, झारखंड में 16 फीसदी, केरल में 23.4 फीसदी, पुडुचेरी में 24 फीसदी, त्रिपुरा में 20 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 19.3 फीसदी हो चुकी है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में असम सबसे ऊपर है जहां केवल 0.1 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसके बाद गुजरात में 2.3 फीसदी, कर्नाटक में 5.3 फीसदी, मध्यप्रदेश में 5.3 फीसदी, ओडिशा में 7 फीसदी, उत्तराखंड में 5.5 फीसदी और उत्तर

प्रदेश में 6.9 फीसदी लोग बेरोजगार हैं। व्यापारिक संगठन कैट के प्रमुख सदस्य सुमित अग्रवाल ने अमर उजाला से कहा कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। व्यापार में ढील देने से बाजार खुले हैं, लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ में नकदी नहीं है, लिहाजा लोग खर्च करने से बच रहे हैं और बाजार में तेजी नहीं आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर के आने के समय और इसके असर को लेकर लोगों में अनिश्चितता है। देश के शीर्ष वैज्ञानिक-डॉक्टरों ने दो-तीन महीने में दोबारा कोरोना की लहर आने की आशंका व्यक्त की है। इस माहौल में व्यापारी बाजार में पैसा लगाने से बच रहा है क्योंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा भयावह हुई और

इसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा तो व्यापारियों को डर है कि उनका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। इससे भी बाजार में सुस्ती बनी हुई है। माना जा रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दिए जाने के कारण इस दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इसके कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है। मई माह की तुलना में जून माह में अब तक बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में धान की बुवाई के कामकाज शुरू होने से वहां भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में आज से अन्य क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में भी छूट मिल रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपने फैसले को रखा सुरक्षित

» कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस आर शाह की विशेष अवकाशकालीन पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील एस बी उपाध्याय और अन्य वकीलों की दलीलें करीब दो घंटे सुनीं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पक्षकारों से तीन दिन में लिखित अभिवेदन दाखिल करने को कहा और खासकर केंद्र से कहा कि वह कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाए। इससे पहले केंद्र ने न्यायालय से

कहा था कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। शीर्ष अदालत में एक हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 के तहत न्यूनतम मानक राहत के तौर पर स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना बचाने एवं प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेस और तेजी से कदम उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें केंद्र और राज्यों को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कानून के तहत चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति का अनुरोध किया गया है।

करीब तीन महीने बाद आए सबसे कम कोरोना मामले

» 24 घंटे में 1422 मरीजों की संक्रमण से मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना का कहर तेजी के साथ कम हो रहा है और पिछले में 88 दिन बाद ऐसा मौका आया जब एक दिन में कोरोना के सबसे कम 53,256 नए मामले दर्ज किये गये। इस दौरान संक्रमण से ग्रस्त 1,422 लोगों की मौत हुई। वहीं एक दिन में कोरोना के दैनिक मामलों के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी।



मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,256 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमण कुल मामले बढ़ कर 2,99,35,221 हो गए। जबकि इस दौरान 1,422 मरीजों की मौत के बाद देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर

3,88,135 हो गई। देश में 65 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.30 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या भी कम होकर 7,02,887 हो गई है। देश में अभी तक कुल 2,88,44,199 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 96.36 प्रतिशत हो गई है। वहीं अभी तक 7,02,887 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का

इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.35 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 11 अक्टूबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे।

किसानों की उपज की खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों के खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा है, प्रदेश के तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठनी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई लेकिन कोरोना माहमारी के चलते क्रय केंद्रों पर तात्कालिकता नहीं है। जैसे ही किसानों गेहूं का क्रय केंद्रों पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया।



उत्तरप्रदेश में 378 लाख मीट्रिक टन उत्पादित गेहूं के मात्र 14 फीसदी हिस्से की सरकारी केंद्रों पर खरीद हुई है। बहुत सारे किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं। अब क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं खरीद में सरकारी फरमानों के चलते अफसर नानुकर कर रहे हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र में

लिखा है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गांवों में क्रय केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, नमी के कारण गेहूं के सड़ने का खतरा है। इस स्थिति में किसान अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे।

पत्र के अंत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तीन प्रमुख मांग की हैं। जिसमें क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों के गेहूं खरीद की गारंटी की जाए। वहीं प्रत्येक क्रय केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भटकना न पड़े। कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक किसान से एक बार में अधिकतम 30 या 50 कुंतल गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। इसपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर किसानों से अधिकतम खरीद की जाए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू हुई मुफ्त टीकाकरण

» केंद्र की नई रणनीति लागू होते ही कुछ ही घंटे में लगे 47 लाख टीके

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार 21 जून से हो चुकी है और पहले दिन ही कुछ ही घंटे में 47 लाख ज्यादा खुराकें लगाकर एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया गया है। शाम तीन बजे तक भारत में 47.5 लाख लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी थी, जो कि अब तक किसी भी एक दिन में दी गई वैक्सीन की संख्या से कहीं ज्यादा है। वहीं

टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने के पीछे प्रधानमंत्री के उस फैसले को बताया जा रहा है जिसके तहत उन्होंने एलान किया था कि 21 जून से वैक्सीन लगाने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात जून को राठ के नाम संबोधन के दौरान कहा था कि, 21 जून यानी सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार ही राज्य को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है।

बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं कई नदियां

पटना (आरएनएस)। लगातार हो रही बारिश के बीच बिहार की कई नदियां का जलस्तर विभिन्न जिलों में खतरे के निशान या इससे ऊपर बह रहा है। उत्तरी बिहार और सीमांचल क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, कोसी, महानंदा, परमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में खतरे के निशान से 2.67 मीटर ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में पटना जिले में कम से कम 45 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बिहार के 11 जिलों में औसत 25 मिमी बारिश दर्ज की गई। बक्सर से भागलपुर जिले के



कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पटना के अलावा मुंगेर में जलस्तर खतरे के निशान से 1.16 मीटर और भागलपुर में 1.10 मीटर बढ़ गया। पटना के दीघा घाट में जलस्तर खतरे के निशान से महज 86 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। गंगा नदी के अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और

वैशाली जिलों में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वीरपुर और सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से क्रमशः 43 और 9 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया और कटिहार जिलों में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। अररिया जिले के जय नगर और परमान नदी में भी कमला बालन खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तरी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात के कारण ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर हैं।

ईडी ने पुणे के कारोबारी की 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत व्यवसायी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की है। इन संपत्तियों को विदेशी प्रतिभूतियों या फेमा के उल्लंघन में भोसले और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित संपत्तियों के बराबर मूल्य के रूप में जप्त किया गया है, जो भारत में स्थित समकक्ष मूल्य की विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर रखी अचल संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करता है।



कुर्क की गई संपत्तियां पुणे के क्लासिक स्पिटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में धारित इटिकी शेयरों और वरीयता शेयरों के रूप में हैं, जिसके पास पांच सितारा श्रेणी में तीन शानदार होटल हैं- होटल वेस्टिन पुणे, होटल ले मेरिडियन नागपुर, होटल डब्ल्यू स्टीटो एंड स्या गोवा।

इसके अलावा, एबीआईएल (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) में रखे गए इटिकी शेयर और भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के नाम विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 1.15 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया गया है। ईडी ने सितंबर 2017 में भोसले और उनके परिवार के खिलाफ फेमा जांच शुरू की थी, इस जानकारी के आधार पर कि व्यवसायी और उनके परिवार के सदस्यों ने फेमा 1999 के उल्लंघन में दुबई में अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया है।

जांच से पता चला कि भोसले और उनके परिवार ने एक कंपनी रोचडेल एसोसिएट्स लिमिटेड, दुबई की विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण किया, जिसके पास 20,000,000 रुपये के (40,34,00,000 रुपये के बराबर) की अचल संपत्ति थी। संपत्ति हासिल करने के लिए ईडी ने कहा, भोसले और उनके परिवार के सदस्यों ने भारत के बाहर अपने बैंक खातों में उदारीकृत प्रेषण योजना के माध्यम से धन प्रेषित किया। ईडी ने कहा, फंड को विभिन्न श्रेणियों में प्रेषित किया गया था जैसे कि कंपनी रोचडेल

एसोसिएट्स लिमिटेड, दुबई में इटिकी शेयर खरीदना, पारिवारिक रखरखाव और परिवार के रखरखाव के लिए एनआरआई से प्राप्त बचत। हालांकि, प्रेषित धन का उपयोग जप्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए किया गया था और कंपनी के शेयरों को प्रेषित धन के खिलाफ आवंटित किया गया था। यह घोषित किया गया था कि कंपनी अचल संपत्ति व्यवसाय गतिविधियों में लगी हुई है, हालांकि जांच से पता चला है कि कंपनी की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और कोई भी आय उत्पन्न नहीं कर रही है। आगे की जांच जारी है।